भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
11.12.2024 के
अतारांकित प्रश्न सं. 2656 का उत्तर

नई रेल परियोजनाओं के लिए निधि का आवंटन

2656. श्री मलैयारासन डी.:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान कितनी नई रेल परियोजनाएं शुरू की गई हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान कल्लाकुरिची निर्वाचन क्षेत्र सहित तमिलनाडु में इन परियोजनाओं के लिए कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं के पूरा होने की अनुमानित समय-सीमा क्या है और रेल अवसंरचना में सुधार लाने के कार्य पर इनका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(घ) इन परियोजनाओं का समय पर समापन सुनिश्चित करने और इनमें विलंब को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): रेल परियोजनाओं को क्षेत्रीय रेल-वार स्वीकृत किया जाता है न कि राज्य-वार अथवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र-वार क्योंकि भारतीय रेल की परियोजनाएं राज्य की

SK

सीमाओं/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं के आर-पार फैली हो सकती हैं। रेल परियोजनाओं को लाभप्रदता, यातायात अनुमानों, अंतिम छोर संपर्कता, मिसिंग लिंक और वैकल्पिक मार्गों, संकुलित/संतृप्त लाइनों का संवर्धन, राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों, संसद सदस्यों, अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा की गई मांगों, रेलवे की अपनी परिचालनिक आवश्यकता, सामाजिक-आर्थिक महत्वों आदि के आधार पर शुरू किया जाता है जो चालू परियोजनाओं के थ्रो-फॉरवर्ड एवं निधियों की समग्र उपलब्धता पर निर्भर करता हैं।

तमिलनाडु राज्य में पूर्णत:/अंशतः पड़ने वाली रेल अवसंरचना परियोजनाएं भारतीय रेल के दक्षिण रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे और दक्षिण पश्चिम रेलवे जोनों के अंतर्गत आती हैं। लागत, व्यय और परिव्यय सहित रेल परियोजनाओं का क्षेत्रीय रेल-वार ब्यौरा भारतीय रेल की वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराया गया है।

पिछले पांच वर्षों अर्थात् वित्त वर्ष 2019-20, वित्त वर्ष 2020-21, वित्त वर्ष 2021-2022, वित्त वर्ष 2022-23, वित्त वर्ष 2023-24 और चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान तमिलनाडु राज्य में पूर्णत:/अंशतः पड़ने वाली 932 करोड़ रुपए लागत की 75 कि.मी. कुल लंबाई वाली 04 परियोजनाओं (01 नई लाइन और 03 दोहरीकरण) को मंजूरी दी गई है।

01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, कल्लाकुरीची निर्वाचन क्षेत्र सहित तमिलनाडु राज्य में पूर्णत:/अंशतः पड़ने वाली 33,467 करोड़ रु. की लागत की 2,587 कि.मी. कुल लंबाई वाली 22 रेल परियोजनाएं (10 नई लाइनें, 03 आमान परिवर्तन और 09 दोहरीकरण) योजना और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। इनमें से 665 कि.मी. लंबाई को कमीशन कर दिया गया है

SK

और मार्च, 2024 तक 7,153 करोड़ रु. का व्यय किया जा चुका है। कार्य की स्थिति निम्नानुसार है:

योजना शीर्ष	परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई (कि.मी. में)	कमीशन की गई लंबाई (कि.मी. में)	मार्च 2024 तक व्यय (करोड़ रु. में)
नई लाइन	10	872	24	1223
आमान परिवर्तन	3	748	604	3267
दोहरीकरण/मल्टीट्रैकिंग	9	967	37	2664
कुल	22	2587	665	7153

रेलवे और तमिलनाडु राज्य सरकार के बीच 50:50 लागत भागीदारी आधार पर चिन्नसलेम-कल्लाकुरीची (16 किलोमीटर) नई लाइन को मंजूरी दी गई है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 99 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रदान किया गया है। उपलब्ध भूमि पर कार्य शुरू कर दिया गया है।

तमिलनाडु राज्य में पूर्णत:/अंशतः पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए बजट आबंटन का ब्यौरा निम्नानुसार है:

अवधि	परिव्यय
2009-14	879 करोड़ रु. प्रति वर्ष
2024-25	6,362 करोड़ रु. (7 गुना से अधिक)

यद्यपि निधि आबंटन में कई गुना वृद्धि हुई है लेकिन परियोजना का निष्पादन शीघ्र भूमि अधिग्रहण की गति पर निर्भर करती है। रेलवे राज्य सरकार के माध्यम से भूमि का अधिग्रहण

करती है और रेल परियोजना का पूरा होना भूमि अधिग्रहण पर निर्भर करता है। बहरहाल, तमिलनाडु राज्य में पूर्णतः/अशतः पड़ने वाली महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं का निष्पादन भूमि अधिग्रहण में विलंब होने के कारण रुक गया है। तमिलनाडु राज्य में भूमि अधिग्रहण की स्थिति निम्नानुसार हैः

तमिलनाडु में परियोजनाओं के लिए कुल भूमि की आवश्यकता	3389 हेक्टेयर
अधिगृहीत भूमि	866 हेक्टेयर (26%)
अधिग्रहण के लिए शेष भूमि	2523 हेक्टेयर (74%)

भारत सरकार परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए तैयार है, तथापि सफलता तमिलनाडु सरकार के सहयोग पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, कुछ प्रमुख परियोजनाएं जो भूमि अधिग्रहण के कारण विलंबित हुई हैं, का विवरण निम्नानुसार हैं: -

क्र. सं.	परियोजना का नाम	कुल अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)	अधिगृहीत भूमि (हेक्टेयर में)	अधिग्रहण के लिए शेष भूमि (हेक्टेयर में)
1.	टिण्डीवनम-तिरूवण्णामलै नई लाइन (185 कि.मी.)	273	33	240
2.	अट्टिपट्टु-पुत्तूर नई लाइन (88 कि.मी.)	189	0	189
3.	मोरप्पूर-धर्मपुरि (36 कि.मी.)	93	0	93
4.	मन्नारगुडी-पट्टुक्कोट्टै (41 कि.मी.)	152	0	152
5.	तंजावूर- पट्टुक्कोट्टै (52 कि.मी.)	196	0	196

किसी रेल परियोजना का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा वन संबंधी स्वीकृति, लागत भागीदारी परियोजनाओं में राज्य सरकार द्वारा अपना अंशदान जमा करना, परियोजनाओं की प्राथमिकता, बाधक जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भौगोलिक और स्थलाकृतिक परिस्थितियां, परियोजना स्थल में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों आदि के कारण परियोजना स्थल विशेष के लिए वर्ष के दौरान कार्य के महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है।

रेल परियोजनाओं के त्वरित अनुमोदन और कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों में (i) गति शक्ति इकाइयों की स्थापना करना (ii) परियोजनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करना (iii) प्राथमिकता वाली परियोजनाओँ हेतु निधियों के आवंटन में पर्याप्त वृद्धि करना (iv) फील्ड स्तर पर शक्तियों का प्रत्यायोजन (v) विभिन्न स्तरों पर परियोजना की प्रगति की गहन निगरानी और (vi) शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वानिकी एवं वन्यजीव संबंधी मंजूरी हेतु राज्य सरकारों और संबंधित प्राधिकारियों के साथ नियमित संपर्क बनाए रखने और परियोजनाओं से संबंधित अन्य मामलों का समाधान करना शामिल है। इससे वर्ष 2014 से कमीशनिंग की दर में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

*****

SK